

# समाहरणालय, गोड्डा ।

(जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, गोड्डा)

(जिला स्तरीय मध्याह्न भोजन योजना कोषांग, गोड्डा)

—:अल्पकालीन निविदा:—

गोड्डा जिला अन्तर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के तहत प्रखंड स्तरीय राज्य खाद्य निगम गोदाम से विद्यालयों तक खाद्यान्न (चावल, दाल एवं अन्य सामग्री) पहुँचाने हेतु प्रखण्डवार परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता नियुक्ति हेतु दिनांक 28.09.2018 के 01:00 बजे अपराह्न तक जिला के सभी प्रखण्डों के लिये निम्न विवरणी एवं शर्तों के अनुसार निविदा प्राप्त की जायेगी एवं उसी दिन 04:00 बजे अपराह्न में उप विकास आयुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में निविदा खोली जायेगी।

प्रखंड मुख्यालय से विद्यालयों की दूरी

| प्रखंड का नाम     | 0-10 कि०मी० | 10-20 कि०मी० | 20-35 कि०मी० | कुल विद्यालयों की संख्या |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------|
| गोड्डा            | 126         | 121          | 45           | 292                      |
| पोडैयाहाट         | 62          | 136          | 40           | 238                      |
| सुंदरपहाड़ी       | 32          | 49           | 68           | 149                      |
| पथरगामा-1         | 60          | 39           | 10           | 109                      |
| पथरगामा-2/बसंतराय | 97          | 24           | 0            | 121                      |
| महागामा           | 102         | 87           | 7            | 196                      |
| मेहरमा            | 52          | 41           | 25           | 118                      |
| बोआरीजोर          | 60          | 53           | 94           | 207                      |
| ठाकुरगंगटी        | 100         | 10           | 0            | 110                      |

इच्छुक निविदादाता (प्रोपराइटर/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी) प्रखण्ड समूहवार अथवा संपूर्ण जिला के लिए निविदा डाल सकते हैं।

निविदा हेतु शर्तें :-

क. सामान्य शर्तें :-

- डोर स्टेप डिलेवरी के तहत प्रखण्ड स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न का हथालन एवं परिवहन कर मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों तक पहुँचाने का कार्य वित्तीय 2018-19 में किया जाना है।
- निविदा खुलने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
- झारखण्ड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 1519 दिनांक 25.10.2017 के द्वारा खाद्यान्न हथालन सह परिवहन व्यय का अधिकतम निर्धारित दर 40/-प्रति क्विंटल है। न्यूनतम दर को प्राथमिकता दी जायेगी। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के विभागीय पत्रांक- 2707 दिनांक- 08.09.2014 द्वारा प्रतिवेदन है कि निविदा निस्तार समिति स्थानीय परिस्थितियों में निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार है। उक्त के आलोक में निविदा के लिए प्रखण्ड समूहवार अथवा संपूर्ण जिले के लिए न्यूनतम दर निर्धारित की जाती है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार से है:-

| क्र० | समूह    | समूह में सन्नहित प्रखण्डों का नाम | न्यूनतम दर जिस दर से कम दर पर निविदा का निस्तार नहीं किया जायेगा। | अभ्युक्ति |
|------|---------|-----------------------------------|---|-----------|
| 1    | समूह 01 | गोड्डा, पोडैयाहाट, सुंदरपहाड़ी    | 40.00 रु०प्रति क्विंटल  |           |
| 2    | समूह 02 | महागामा, पथरगामा, बसंतराय         | 40.00 रु०प्रति क्विंटल  |           |
| 3    | समूह 03 | मेहरमा, ठाकुरगंगटी, बोआरीजोर      | 40.00 रु०प्रति क्विंटल  |           |
| 4    | समूह 04 | संपूर्ण जिला के लिये              | 40.00 रु०प्रति क्विंटल  |           |

इच्छुक निविदादाता (प्रोपराइटर/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी) प्रखण्ड समूहवार अथवा संपूर्ण जिले अथवा एक से अधिक समूह के लिए निविदा डाल सकते हैं।

**ख. तकनीकी शर्तें :-** निम्न दास्तावेजों को अलग लिफाफा में रखकर सील बंद करें :-

4. प्रत्येक निविदा के मुहरबंद लिफाफे में आवेदन के साथ मो०- 10,000/- (दस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त, गोड्डा के पदनाम से निर्गत हो और गोड्डा में भुगतये हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. मुहरबंद लिफाफे में आवेदन के साथ उपायुक्त के द्वारा विगत छः माह के अन्दर निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, हाल का खींचा हुआ 2 प्रति अभिप्रमाणित फोटोग्राफ एवं प्रति एक समूह के लिए 6,00,000/- (छः लाख) रुपये एवं सम्पूर्ण जिले के लिए 18,00,000/- (अठारह लाख) रुपये का बैंक गारंटी प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. खाद्यान्न का परिवहन भारवाहक वाहन यथा (पीकअप, 207, 407, मिनी ट्रक/ट्रैक्टर टेलर सहित/अन्य) भारवाहक वाहन के माध्यम से करना होगा।
7. खाद्यान्न उठाव एवं वितरण में प्रयुक्त होनेवाले सभी वाहनों का पूर्ण कागजात तथा अद्यतन कर भुगतान किया हुआ, अद्यतन बीमा का प्रमाण-पत्र एवं फिटनेस के कागजात निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
8. आवेदन के साथ वाहन की सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा वाहन किसी अन्य योजना के लिये कार्यरत नहीं है।
9. विगत तीन वर्षों का आयकर विवरणी समर्पित करना अनिवार्य होगा।
10. वाणिज्य स्वच्छता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि झारखण्ड राज्य में कहीं भी काली सूची में उन्हें नहीं डाली गई है, तथा परिवहन हथालन कार्य के जिला द्वारा निष्कासित नहीं किया गया हैं साथ ही निविदादाता या उनके परिवार के किसी सदस्यों पर 7 ई0सी0 का मुकदमा पूर्व में दायर नहीं हुआ है।
12. निविदादाता को अपना स्थायी एवं वर्तमान आवासीय पता, फोन नम्बर के साथ सत्यापित कराकर निविदा के साथ समर्पित करना आवश्यक होगा। मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति, पेन कार्ड की छाया प्रति समर्पित करना आवश्यक होगा।
13. निविदा प्रपत्र के लिफाफा पर साफ-साफ बड़े अक्षरों में यह अंकित करना होगा कि वे किस प्रखण्ड में कार्य करने हेतु निविदा डाल रहे हैं।
14. उपरोक्त किसी भी बिन्दु अथवा स्तर पर कागजात की कमी होने की स्थिति में उक्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

**ग. वित्तीय शर्तें :-**

15. निविदा हेतु वित्तीय दर अलग लिफाफा में सिलबंद कर समर्पित करना होगा।
16. हथालन सह परिवहन दर .....रुपये प्रति क्विंटल। (जिस दर पर हथालन सह परिवहन कार्य करना चाहते हैं)

**घ. अन्य शर्तें :-**

17. वित्तीय लिफाफा एवं तकनीकी लिफाफा अलग-अलग लिफाफा में भरकर सीलबंद कर पुनः दोनों लिफाफा को पुनः बड़े लिफाफा में सील बंद कर समर्पित करना होगा। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा को एक साथ समर्पित करने से तकनीकी निविदा पर विचार किया जाने में समस्या उत्पन्न होती है दोनों निविदा एक ही लिफाफे में पाये जाने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
18. एक से अधिक निविदादाता का समान दर प्रतिवेदन होने की स्थिति में कार्य अनुभव अथवा के आधार पर प्राथमिकता देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
19. डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के दोनों तरफ (आगे पीछे को छोड़कर) पीले रंग के बैंक ग्राउण्ड में काले अक्षरों से से "विद्यालयों के खाद्यान्न का परिवहन" अंकित कराना अनिवार्य होगा।
20. डोर स्टेप डिलेवरी वाहनों में जी0पी0एस0 ट्रैकिंग (भी0टी0एस0) प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। जी0पी0एस0 ट्रैकिंग (भी0टी0एस0) के माध्यम से विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा।
21. प्रखण्ड स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न का परिवहन चौकीदार/सरकारी सेवक अभिरक्षक में सम्बंधित विद्यालय तक पहुँचाना आवश्यक होगा तथा संबंधित विद्यालय से प्राप्त पावती रसीद, प्राप्ति रसीद पर निगरानी विद्यालय प्रबंधन समिति/संबंधित मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/ग्राम पंचायत सदस्य/वार्ड कमिशनर के द्वारा खाद्यान्न का सत्यापन करने एवं संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा सत्यापन के बाद ही ढुलाई किये गये खाद्यान्न के विपत्र का भुगतान संभव होगा।

22. प्रखण्ड स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न का हथालन एवं परिवहन कर खाद्यान्न के प्रत्येक माह के 15वीं तारीख तक संबंधित विद्यालयों में पहुँचाना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में बैंक लॉग की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
23. प्रत्येक माह ससमय खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण नहीं करने की स्थिति में निविदादाता को काली सूची में डालते हुए अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी।
24. खाद्यान्न उठाव एवं वितरण में लगभग 18 (अठारह) वाहनों का उपयोग किया जायेगा।
25. नियुक्ति के समय दो जमानतदारों का बंध पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
26. खाद्यान्न का तौल से प्राप्तकर्ता/जनवितरण प्रणाली दुकानदार को संतुष्ट करना होगा।
27. चयनित ट्रांसपोर्टर के द्वारा नियमानुसार देय कर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
28. सभी कागजात क्रम बद्ध रूप में क्रमवार समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
29. निविदा को किसी भी समय बिना बताये रद्द करने एवं निविदा की शर्तों पर संशय की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार उपायुक्त, गोड्डा को सुरक्षित होगा।
30. निविदा निस्तार के उपरांत एल-01 निविदादाता के द्वारा कार्य करने में असमर्थता अथवा कार्य निष्काषण की स्थिति में एल-02 अथवा एल-03 निविदादाता को कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
31. विस्तृत जानकारी के लिये जिला के पोर्टल <http://godda.nic.in> पर देखा जा सकता है।

### आवेदन पत्र का नमूना

1. प्रखंड का नाम –  
(जहाँ खाद्यान्न हथालन-सह-परिवहन करना चाहते हैं)
2. निविदा दाता का नाम, स्थायी पता एवं वर्तमान पता हो –
3. पिता का नाम –
4. फोन नं0/मोबाईल नं0 –
5. दस हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक.....  
बैंक का नाम.....
6. खाद्यान्न ढुलाई में प्रयुक्त होने वाले भारवाहक वाहन की विवरणी –

| क्र0 | वाहन संख्या | वाहन का प्रकार | निबंधन कार्यालय का नाम एवं पता | वाहन मालिक का नाम एवं पता |
|------|-------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
|      |             |                |                                |                           |

आवेदन के साथ निविदा के शर्तों के अनुसार अन्य सभी कागजात एवं सूचना अंकित करना अनिवार्य होगा।

निविदादाता का पूर्ण हस्ताक्षर

ह0/  
जिला शिक्षा अधीक्षक  
गोड्डा।

ह0/  
उप विकास आयुक्त  
गोड्डा।